

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्रीमती अंसी उर्फ बसन्ती  
किस्म मुकदमा - 136 भू रा.अधि.

विपक्षी :- राज्य  
पत्रावली संख्या : 27 / 25  
जीसीएमएस : 2025 / 96

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्द तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 23.05.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया व राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीया व राजपेरोकार की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम नाबालिग बसन्ती पुत्री हेमा गायरी गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जनआधार कार्ड की प्रति, राजकीय प्राथमिक विद्यालय आनन्दपुरा के कक्षा 4 की अंकतालीका की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, ग्राम पंचायत तुलसीदास जी की सराय द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 04.11.2024, बैंक पास बुक की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, स्वयं प्रार्थीया का 100/- रुपये स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम अंसी पुत्री हेमा गायरी अंकित होना जाहिर होता है। तहसीलदार मावली व पटवारी हल्का तुलसीदास जी की सराय की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया का नाम नाबालिग बसन्ती पुत्री हेमा नहीं होकर अंसी पुत्री हेमा गायरी होना बताया है। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><b>—: आदेश :-</b></p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा आनन्दपुरा पटवार हल्का तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 33, 34, 35, 37, 38 पर दर्ज आराजीयात भूमि में खातेदार नाबालिग बसन्ती पुत्री हेमा गाडरी के बजाय बसन्ती उर्फ अंसी पिता हेमा गायरी संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"><b>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)</b> सहायक कलक्टर <b>(SDO) मावली</b></p>	

